न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम उपखण्ड अधिकारी महोदय ओसियॉं

पीठासीन अधिकारी :– रतनलाल रेगर (आर ए एस)

प्रार्थना पत्र सख्या 19ए/2020

प्रार्थीगण :–

1. सुरजाराम पुत्र श्री घमुराम
2. लिखमाराम पुत्र श्री घमुराम
3. भल्लाराम पुत्र श्री घमुराम
4. सायर पुत्री श्री घमुराम
5. जमना देवी पुत्री श्री घमुराम सभी जाति मेघवाल निवासी ग्रम रामनगर एकलखोरी तहसील तिवरी जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी :–

सरकार जरिये तहसीलदार ओसियॉ जिला जोधपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :–

प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार मदेरणा

अप्रार्थी पैराकार सरकार उपस्थित

निर्णय

दिनॉक 29.12.2020

प्रार्थीगण की ओर प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया कि तहसील ओसियॉ के राजस्व ग्रम बेरडो का बास के खसरा सख्या 287 रकबा 16 बीघा 02 बिश्वा, भूमि प्रार्थीगण के पिता व अन्य सहखातेदारो की सयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि आयी हुई है। उक्त खसरान की भूमि पूर्व में प्रार्थीगण की दादा श्री बुधाराम के खातेदारी की थी तत्पश्चात बुद्वाराम फौत होने पर प्रार्थीगण के पिता श्री गुमनाराम पुत्र श्री बुधाराम के नाम से जरिये नामान्तरकरण दर्ज की गई । चूँकि बुधाराम की मृत्यु काफी पहले हो चुकी थी लेकिन बाद में नामान्तरकरण वाद में स्वीकार किया गया। उक्त नामान्तरकरण दर्ज करते समय प्रार्थी के पिता श्री घमुराम के दस्तावेजो की जॉच किए बगैर ही प्रार्थीगण के पिता का नाम गुमनाराम दर्ज कर दिया गया। जबकि प्रार्थीगण के पिता का नाम आधार कार्ड राशन कार्ड आदि में गुमनाराम नही होकर घमुराम है। इसलिए उक्त खसरान की भूमि में प्रार्थीगण के पिता के नाम शुद्व करवाकर गुमनाराम के स्थान पर घमुराम दर्ज करवाना चाहते है। प्रार्थीगण के पिता का देहान्त हाल ही में दिनॉक 11.10.2018 को हो गया था जिनका मृत्यु प्रमाण पत्र में प्रार्थीगण के पिता का नाम घमूराम पुत्र श्री बुधाराम स्पष्ट रूप से अंकित है। प्रार्थीगण के पिता का नाम वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में राजस्व कर्मचारियो की त्रुटिवश सहवन से बिना दस्तावेजो की जॉच किए अंकित कर दिया है। इसलिए प्रार्थीगण अपने पिता का नाम गुमनाराम पुत्र श्री बुधाराम के स्थान पर घमूराम पुत्र श्री बुधाराम दर्ज करवाना चाहते है। प्रार्थीगण के पिता का वास्तविक नाम घमुराम है जबकि प्रार्थीगण के पिता को घर में बोलचाल की भाषा में गुमनाराम के नाम से पुकारते है इसलिए प्रार्थी के पिता के देहान्त के पश्चात प्रार्थीगण के पिता का नाम घमूराम अंकित नही कर गुमनाराम दर्ज कर दिया जो प्रार्थीगण के पिता का ही नाम है इसलिए उक्त नाम त्रुटिवश अंकित होने से प्रार्थीगण को अपने पिता का नाम के देहान्त के पश्चात उनका फौतेदगी नामान्तरकरण दर्ज करवाने में

Scanned with CamScanner

कठिनाई महसूस होती है। इसलिए प्रार्थी उक्त अशुद्ध नाम को शुद्ध करवाकर गुमनाराम के स्थान पर घमूराम करवाना चाहते है। अन्त में ईस्तदुआ चाही कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसील ओसियॉं के राजस्व ग्रम बेरडो का बास के खसरा सख्या 287 रकबा 16 बीघा 02 बिश्वा, भूमि के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में प्रार्थीगण के पिता का नाम गुमनाराम के स्थान पर घमुराम शुद्ध किया जावे।

प्रार्थीगण के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया जिस पर अप्रार्थी पैराकार की सरकार की ओर से जबाब पेश हुआ कि उक्त भूमि गुमनाराम आईदानराम, चैनाराम, किलाराम, लूणाराम, पिता बुद्वाराम की खातेदारी की आई हुई है उक्त में उक्त भूमि बुद्वाराम के नाम की थी जो नामान्तरकरण सख्या 456 के के द्वारा बुद्वाराम फौत होने पर गुमनाराम वगैरह के नाम से दर्ज हुई । मृत्यु प्रमाण पत्र में प्रार्थीगण के पिता का नाम घमुराम है, आधार कार्ड में घमुराम पुत्र श्री बुद्वाराम है। सुरजाराम के आधार कार्ड में भी पिता का नाम घमुराम है। इस प्रकार से प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को सवीकार करने की अनुसंशा की ।

अप्रार्थी का जबाब पेश होने पर बहस सुनी गई प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए बताया कि उक्त भूमि में प्रार्थीगण के दादा की भूमि थी तत्पश्चात फौतेदगी नामान्तरकरण में प्रार्थी के पिता के नाम से दर्ज हुई जबकि प्रार्थीगण के पिता का नाम गुमनाराम नही होकर घमुराम है जिनके मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति पेश हैं वर्तमान में उक्त नाम अशुद्व होने से प्रार्थीगण उक्त गुमनाराम का फौतेदगी नामान्तरकरण दर्ज नही करवा पा रहे। जबकि गुमनाराम व घमुराम एक ही व्यक्ति हैं जो प्रार्थीगण के पिता है। सरकारी पैराकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को सत्य व सही बताया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया बहस पर मनन किया गया पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त भूमि प्रार्थीगण के पिता श्री गुमनाराम के नाम है तथा गुमनाराम का नाम मृत्युप्रमाण पत्र के अनुसार घमुराम पुत्र श्री बुद्वाराम है। तथा घमुराम प्रार्थीगण पिता है। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अत प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि तहसील ओसियॉं के राजस्व ग्रम बेरडो का बास के खसरा सख्या 287 रकबा 16 बीघा 02 बिश्वा, के राजस्व रेकर्ड में दर्ज नाम गुमनाराम के स्थान पर घमुराम दर्ज किया जावे। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार ओसियॉं को तहरीर जारी हो।

रतनलाल रेगर (आर ए एस)
सहायक कलेक्टर एवम
उपखण्ड अधिकारी ओसियॉं

निर्णय आज दिनांक 29/12/2020 को सरेईजलास सुनाया गया।

रतनलाल रेगर (आर ए एस)
सहायक कलेक्टर एवम
उपखण्ड अधिकारी ओसियॉं

Scanned with CamScanner